ई–मेल / आवश्यक / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर–1 चतुर्थतल सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

संख्या–पांच–।।।–आर(वरि0पदो0)2020 दिनांकःजून 5 2020

सेवा मे,

1.समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2.अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन,उ0प्र0
3.पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0

विषयः दिनांक 30.06.2016 तक मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

कृपया अवगत कराना है कि वरिष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 30.06.2016 तक पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षियों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है, तैयार की गयी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची के डाटा को त्रुटिरहित अद्यावधिक कर उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

2. उत्तर प्रदेश आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित के नियम–22 के उप प्रस्तर–3 व 4 में मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की ज्येष्ठता निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत की गयी हैः–

<u>1–दिनांक 02.12.2008 के पूर्व के प्रोन्नति मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता का निर्धारणः–</u>

(1) मुख्य आरक्षी पुलिस की वरिष्ठता उनके मुख्य आरक्षी पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।
(2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।
(3) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की, मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ट मुख्य आरक्षी, ज्येष्ठ होगा।
(4) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है तो हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।

2–दिनांक 02.12.2008 के पश्चात प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता का निर्धारणः–

पदोन्नति के आधार पर नियुक्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये मुख्य आरक्षियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरक्षी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ट होंगे। यहां चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से हैः–

परन्तु यह कि आरक्षी के पद से मुख्य आरक्षी के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगीः–

(1) दिनांक 02.12.2008 से पूर्व के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी इसके पश्चात पदोन्नति प्राप्त करने वाले मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होंगे।

(2) पूर्ववर्ती "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाये व पश्चातवर्ती"वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाये से ज्येष्ठ होगे।

(3) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच) समान है, उनमें से जिस आरक्षी की आरक्षी पद पर नियुक्ति की तिथि पूर्व की होगी वह पश्चातवर्ती तिथि में आरक्षी पद पर नियुक्त हुये आरक्षी से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होगें।

(4) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच) समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(5) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच) समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान है तथा मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के भी समान होने की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता वाह्य प्रशिक्षण के प्राप्तांको के आधार पर तथा वाह्य प्रशिक्षण के अंक भी समान होने की दशा में उनके जन्मतिथि को वरीयता देते हुये निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरक्षी ज्येष्ठ होगा।

नियम–22(5)ज्येष्ठता

विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व निर्धारित की गयी नीति के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण यथावत बना रहेगा।

नियम–22(5)ज्येष्ठता

उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निवारण विभागध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

3. आउट आफ टर्न प्रोन्नति के मुख्य आरक्षी की वरिष्ठता शासनादेश संख्या 1693 / 6–पु – 1–15–90(04)/2014 दिनांक 23.07.2015 के अनुसार निर्धारित की गयी है।

4. कुशल खिलाडी होने के कारण आरक्षी नागरिक पुलिस के पद से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के संवर्गीय पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कर्मियों को वरिष्ठता सूची में मुख्य आरक्षी नागरिक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–172 /6 –पु –10 – 2003–27(82)/2001, दिनांक 07.02.2003 में निहित व्यवस्थानुसार सम्मिलित किया गया है।

5. पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–455 के अर्न्तगत मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस बनाये गये आरक्षियों को भी उनके मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

6. उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.12.2008 के पश्चात प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षियों के ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित के नियम–22 के उप प्रस्तर–4 के अनुसार निर्धारण किया गया है। वर्ष 2016 में वरिष्ठता के आधार पर आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति पाये सभी कर्मी के अनुमोदन का दिनांक 14.05.2016 है, जिस कारण इन कर्मियों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु इनके प्रशिक्षण में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत व वाहय प्रशिक्षण में प्राप्त अंको की आवश्यकता पडेगी। इस प्रकार जो कर्मी

मुख्य आरक्षी पद का विहित प्रशिक्षण प्राप्त नही किये है उनको भी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में यथा स्थान रखते हुए मुख्य आरक्षी पद का प्रशिक्षण अंतिम वरिष्ठता सूची निर्गत किये जाने के पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

7. इस प्रकार वर्ष 2016 में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बैचवार पदोन्नति पाये ऐसे कर्मी जिनके प्रशिक्षण के अंक सूची में उपलब्ध नही है, का नाम अनन्तिम सूची में यथास्थान अंकित कर दिया गया है। इन कर्मियों के सम्बंध में जनपदो/इकाईयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन कर्मियों का विशेष रूप से ध्यान दें तथा इनके प्रशिक्षण के अंक प्रत्येक दशा में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक **25.06.2020** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दें। यदि इनके प्रशिक्षण के अंक उपलब्ध नही कराये जाते है तो यह माना जायेगा कि उक्त कर्मी मुख्य आरक्षी पद का विहित प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है।

8. उपरोक्तानुसार मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची जनपद/इकाईयां से प्राप्त सूचना के आधार पर उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है तथा सर्वसम्बंधित को साफट कापी ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है। इस सूची में कुल **7702** मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के नाम अंकित है।

9. उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर प्रदर्शित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची को डाउनलोड कर सम्बंधित कर्मियों के डाटा के मिलान जो अपूर्ण है, को पूर्ण करके अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लिया जाय। उपरोक्तानुसार सूची में अंकित नाम के अपने जनपद/इकाई में नियुक्त मुख्य आरक्षियों/मुख्य आरक्षी, एलआईयू तथा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस(वि0श्रेणी) उपनिरीक्षक अध्यापक के नाम से मिलान किया जाय। यदि आपके जनपद/इकाई में नियुक्त दिनांक 30.06.2016 तक के मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–455 के अर्न्तगत दिनांक 30.06.2016 तक के मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्त व कुशल खिलाडी के अर्न्तगत संवर्गीय पद पर आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी ना0पु0 एवं कुशल खिलाडी के अर्न्तगत 1994 से वर्ष 2014 तक आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कर्मियां मे से किसी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस का नाम सूची में सम्मिलित होने से छूटा हो तो उसका विवरण पीएनओ डाटावेस आनलाइन में यथाशीघ्र अवश्य इन्ट्री कराते हुए विवरण मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को ई–मेल आईडी sicppromo.phq5@gmail.com पर भेज दिया जाय। जिस कर्मी के डाटा में संशोधन किया जाय उसे अभ्युक्ति के कालम में अवश्य अंकित किया जाय।

10. निम्नलिखित बिन्दुओ पर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि इस अपने स्तर पर स्वयं देखकर उपलब्ध अभिलेखों से मिलान के पश्चात प्रमाणपत्र प्रेषित किया जाय कि:–

1. सूची में अंकित कर्मी का पीएनओ सही है, कर्मी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, भर्ती तिथि एवं नियुक्ति जनपद/इकाई सही है।

2 .मुख्य रूप से मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/मुख्य आरक्षी के पद पर अनुमोदन का दिनांक सही है, का अवश्य मिलान कर लिया जाय।

3 .आपके जनपद/इकाई में नियुक्त दिनांक 30.06.2016 तक मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति प्राप्त जिसमें पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर–455 व वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत, कुशल खिलाडी के रूप में आउट आफ टर्न एवं वीरता के कारण आउट आफ टर्न

पदोन्नति प्राप्त दिनांक 30.06.2016 तक तथा मुख्य आरक्षी प्रोन्नति वेतनमान में सेवारत किसी मुंख्य आरक्षी नागरिक पुलिस का नाम छूटा नही है।

4. उक्त अवधि के आफिस मैनुअल के प्रस्तर–191 के अर्न्तगत स्थानीय रूप से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस का नाम छूटा नही है।

5 .उक्त अवधि के मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद से पैडागाजी कोर्स करके उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस(अध्यापक) के पद पर नियुक्त कर्मियों का नाम छूटा नही है।

6. आफिस मैनुअल के प्रस्तर–191 के अर्न्तगत मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को स्थानीय स्तर पर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस बनाये हुए मुख्य आरक्षी के अतिरिक्त इस श्रेणी के किसी अन्य कर्मी का नाम सम्मिलित नही है।

7. अदम्य साहस एवं शौर्य के लिए निसंवर्गीय पद पर मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त किसी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस का नाम छूटा नही है।

8. प्रमाणित किया जाय कि सूची में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के अतिरिक्त आरक्षी पीएसी के पद पर भर्ती हुए आरक्षी ना0पु0 की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित होकर मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति पाये किसी कर्मी का नाम सम्मिलित नही है।

11. प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के अधूरे कालम को पूर्ण करके संशोधित कराकर पुलिस लाइन/थानों/कार्यालय तथा अन्य सम्बधित स्थानों पर प्रचार प्रसार करने हेतु सूचना पट पर चस्पा करवा दे, साथ ही सूची में अंकित मुख्य आरक्षियों को इसकी लिखित सूचना देकर सूचित करने सम्बंधी अभिलेख को अपने कार्यालय में सुरक्षित करते हुए मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अवगत करायें।

12. अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित यदि कोई मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/मुख्य आरक्षी एलआईयू/उपनिरीक्षक(अध्यापक) जो मूलतः मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से पैडागाजी कोर्स उत्तीर्ण/उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस(वि0श्रेणी) एवं पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर–191 के अर्न्तगत स्थानीय रूप से पदोन्नति प्राप्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से कोई कर्मी स्थानान्तरित हो गया हो अथवा सम्बद्वता/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो तो उसे सूचित करने अथवा नाम छूटे होने की दशा में उसका विवरण उसके गहन जनपद अथवा पीएनओ डाटावेस आनलाइन निर्धारित तिथि के अन्दर इन्ट्री कर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अवगत कराने की जिम्मेदारी उसके गहन जनपद/इकाई/शाखा की होगी।

13. उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची जनपद/इकाई द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। प्रकाशित की जाने वाली अनन्तिम वरिष्ठता सूची में यदि किसी कर्मी का नाम छूटा अथवा कोई तथ्य गलत अंकित हो तो उसे अवश्य ठीक करा लिया जाय। इसकी संकलित सूचना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को ई–मेल sicppromo.phq5@gmail.com पर साफट कापी एवं हार्ड कापी विशेष वाहक के माध्यम से निर्देशित कार्यवाही पूर्ण कर अपेक्षित संशोधन की सूची प्रमाणपत्र सहित यथाशीघ्र मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करें।

14. कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर प्रकाशित उपरोक्त मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची को डाउनलोड कर उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना से दिनांक 25.06.2020 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिस जनपद/इकाई/शाखा से निर्धारित अवधि के अन्दर अपेक्षित सूचना प्राप्त नही होती है तो वहॉ की सूचना शून्य मानते हुए मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की अंतिम वरिष्ठता सूची निर्गत कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्वंधित जनपद/इकाई/शाखा के प्रभारी की होगी। प्रकरण अति महत्वपूर्ण एवं समयवद्व है। अतः व्यक्गित ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार। (सूची)

5/6/2020

(डॉ0 राकेश शंकर)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।

2.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाये, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संलग्न अनन्तिम वरिष्ठता सूची को उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।

3.समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषित।